

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन एवं नवागढ़, जिला बेमेतरा

ज्ञापन

क्रमांक /

/ प्र/भू-अर्जन/2024

नवागढ़, दिनांक 13/03/2024

प्रति,

- 1- तहसीलदार,
माल जमादार शाखा-नवागढ़
- 2- सरपंच/सचिव/ग्राम कोटवार
ग्राम पंचायत देवरी
तहसील नवागढ़

विषय :-

भू-अर्जन प्रकरण के धारा-11 की अधिसूचना को कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर तामिली प्रस्तुत करने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि हेमप व्यपवर्तन योजना के डूबान क्षेत्र के अंतर्गत प्रभावित निजी भूमि ख.नं. 29 कुल रकबा 0.04 हे. भूमि ग्राम देवरी प.ह.नं. 15 तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा के भू-अर्जन प्रकरण के अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करें। अधिसूचना की 02 प्रतियां भेजी जा रही है जिसमें कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्री रणबीर शर्मा के हस्ताक्षर हैं।

एक एक प्रति अधिसूचना आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन करें तथा एक प्रति अधिसूचना पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न-

अधिसूचना की 02 प्रति।

भू-अर्जन/अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
नवागढ़, जिला-बेमेतरा

पृ. क्रमांक/ 399

/ प्र/भू-अर्जन/2024

नवागढ़, दिनांक 13/03/2024

प्रतिलिपि:-

कार्यालय कलेक्टर (एन.आई.सी.शाखा) जिला बेमेतरा की ओर अधिसूचना की एक प्रति कार्यालय के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु सादर सम्प्रेषित।



भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
नवागढ़, जिला-बेमेतरा

कार्यालय कलेक्टर जिला-बेमेतरा एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक / 662 / अ-82 / भू-अर्जन / 2022-23

नवागढ़, दिनांक 05/03/23

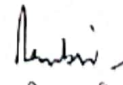
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची में कालम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कालम न. (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कालम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी के उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/पहान	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे.मै)		
1	2	3	4	5	6	7
बेमेतरा	नवागढ़	देवरी / 15	29	0.04	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नवागढ़	हेम्प व्यपवर्तन योजना के एल.बी. सी. के नहर नाली में प्रभावित भूमि
योग-			01	0.04		

- (2) यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि 60 दिवस के भीतर अर्जित की जानेवाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्त/लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समझात निर्धारित के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर का स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नवागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रस्तावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
- (5) प्रस्तावित प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन को छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4-28 सात-1/2014 दिनांक 05 फरवादी 2016 के द्वारा अधिनियम 2013 के अनुसार (सामाजिक समझात निर्धारण सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016 अनुसार कर ली गई है।
- (6) प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नवागढ़ का पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(रणवीर शर्मा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

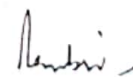
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची में कालम (1) से (5) में दर्शित भूमि के अनुसूची के कालम (7) में दर्शित सामाजिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जाएगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कालम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी के उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है-

अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/पहल	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे.मै.)		
1	2	3	4	5	6	7
बेतवा	नवागढ़	देवरी/15	29	0.04	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नवागढ़	हेम्प व्यपवर्तन योजना के एल.बी.सी. के नहर नाली में प्रभावित भूमि
योग-			01	0.04		

- (2) यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितवद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि 60 दिवस के भीतर अर्जित की जानेवाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्ता/लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारित के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर का स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नवागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रस्तावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
- (5) प्रस्तावित प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन को छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4-28 सात-1/2014 दिनांक 05 फरवादी 2016 के द्वारा अधिनियम 2013 के अनुसार (सामाजिक समाघात निर्धारण सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016 अनुसार कर ली गई है।
- (6) प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नवागढ़ का पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार



(रणवीर शर्मा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग